राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 34 / 2011 जीसीएमएस वाद संख्या : 2011 / 00037

हीरासिंह पुत्र मोहर सिंह उम्र 62 साल जाति अहीर निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

..................वादी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री गोरधन सिंह उम्र 40 साल
2. सुमेर सिंह पुत्र स्व श्री गोरधन सिंह उम्र 42 साल
3. इन्द्र सिंह पुत्र स्व श्री गोरधन सिंह उम्र 45 साल
4. कृष्णा देवी पत्नि स्व0 श्री पृथ्वी सिंह उम्र 50 साल
5. श्रीपाल पुत्र स्व श्री पृथ्वी सिंह उम्र 20 साल
6. पार्थ सिंह पुत्र स्व0 पृथ्वी सिंह उम्र 18 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना झुंझुनूं राज0

......................प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती एवं खाता विभाजन

–: निर्णय :– दिनांक ....

वादीगण की ओर से वाद पत्र रहा कि :–

1. यह कि वाके ग्राम बडबर तहसील बुहाना स्थित भूमि गत जमाबन्दी स0 2024 से 2027 के खाता स0 69 के ख0 न0 375 रकबा 1बिस्वा ख0 न0 383 / 1 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, ख0 न0 226रू / 1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, ख0 न0 606 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा ख0 न0 616 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा ख0 न0 621 / 1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, ख0 न0 846 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 70 बीघा 9 बिस्वा के खातेदार काश्तकार जग्गुसिंह पुत्र मातुसिंह नवीरा तानसिंह हिस्सा 1 / 3, गोरधन सिंह प्रहलाद सिंह पुत्र तानसिंह हिस्सा 2 / 3 दर्ज रिकार्ड खातेदार काश्तकार है
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड न0 1 में दर्ज भूमि में प्रतिवादी स0 1 लगायत 3 के पिता स्व0 गोरधन का 1 / 3 हिस्सा था इसलिए सम्पूर्ण भूमि में उसके हिस्से में 23 बीघा 11

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बिस्वा भूमि आई थी जिसमें से उसने अपने हिस्से में आई ख0 न0 846 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से अपने हिस्से की 2 बीघा 14 बिस्वा यानी 0.68 है0 भूमि को दिनांक 17/05/1972 को जरिये रजिस्ट्री विक्रय पत्र के वादी व उसके भाई रामसिंह को कारकट बेचान कर दिया था, तथा उसी दिन वादी व उसके भाई को विक्रित भूमि पर कब्जा करवा दिया था। जो लगातार क्रय के दिन से वादी अपनी क्रयशुदा भूमि का दिनांक 03/09/1972 को नामान्तरण स0 619 के द्वारा वादी व उसके भाई रामसिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में ईन्तकाल भी दर्ज हो चुका था। चुंकि वादी के भाई रामसिंह नाऔलाद फौत हो चुका है। इसलिये सम्पूर्ण भूमि 0.68 है0 पर वादी का ही कब्जा काश्त है।

3. यह कि वाद पत्र के खण्ड न0 1 में दर्ज भूमि ख0 न0 846 रकबा 7 बिघा 2 बिस्वा भूमि में से गोरधन द्वारा विक्रय की गई भूमि 2 बीधा 14 बिस्वा का नामान्तरण वादी के पक्ष में दिनांक 03/09/1972 को नामान्तरण स0 619 पर दर्ज कर तस्दीक कर दिया गया था लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा सहवन से जमाबन्दी रिकॉर्ड में वादी के नाम से अमल दरामद नही किया गया जो आज भी गोरधन सिंह के नाम से व उसके मरने के बाद उसके वारिसान प्रतिवादी स0 1 लगायत 3 के नाम यथावत चला आ रहा है जिसकी जानकारी 10 दिन पूर्व हाल जमाबन्दी ख0 न0 1261 जिस पर वादी काबिज है को लेने से जानकारी हुई।
4. यह कि वाद वर्णित भूमि गत ख0 न0 846 रकबा 7 बिघा 2 बिस्वा के सटलमेंट के बाद ख0 न0 1506 रकबा 0.76 है0 व ख0 न0 1507 रकबा 1.03 है0 बने जिसके आधार पर वादी का कब्जा ख0 न0 1506 रकबा 0.76 है0 में 0.68 है0 पर था इसके अलावा सम्वत् 2050 से 2053 में ग्राम बडबर से राधु की ढ़ाणी को अलग कर नया राजस्व ग्राम बनाया जाने से उक्त ख0 न0 में परिवर्तन होकर ख0 न0 1506 रकबा 0.76 है0 से ख0 न0 1391 रकबा 0.76 है बना इसी प्रकार सम्वत् 2058 से 2061 में ग्राम बडबर से भवानीपुरा को अलग कर नया राजस्व ग्राम घोषित किया गया जिसके आधार पर पुनः ख0 न0 में परिवर्तन हुआ और ख0 न0 1391 रकबा 0.76 है0 के ख0 न0 1261 रकबा 0.76 है0 बने जिसमें रकबा 0.68 है0 पर वादी का कब्जा काश्त है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी स0 1 लगायत 3 काबिज है।
5. यह कि वादी के भाई रामसिंह का काफी समय पूर्व देहान्त हो चुका है। तथा उसकी पत्नि ने दूसरी शादी कर ली थी जिसके रामसिंह के जीवन काल में कोई संतान उत्पन्न नही हुई इस प्रकार रामसिंह का उत्ताधिकारी केवल मात्र वादी ही है। उसके हिस्से की भूमि पर वादी ही काबिज है। इसलिये उसके हिस्से की भूमि यानी सम्पूर्ण 0.68 है0 भूमि का वादी को काश्तकार घोषित किया जावें।
6. यह कि वादी की खरीदशुदा भूमि 2 बिधा 14 बिस्वा यानी 0.68 है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 लगायत 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड चली आने से वादी को भारी हक तलफी है। जबकि

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

उक्त भूमि पर क्रय के दिन से वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। जिसके लिये यह दावा न्यायालय श्रीमान जी में पेश किया जाना आवश्यक हुआ।

7. यह कि विवादित भूमि हाल ख0 न0 1261 रकबा 0.76 है0 में वादी का 0.68 है0 हिस्सा है। शेष 0.08 है भूमि प्रतिवादी स0 1 लगायत 3 की है। जिसका वादी को काश्तकार घोषित किया जाकर उसका खाता विभाजन कर लगान भी अलग से कायम की जावें।

8. यह कि गोरधन सिंह को देहान्त हो चुका है। तथा उसकी पत्नि भगवती भी फौत हो चुकी है जिसके एल0 आर0 प्रतिवादी स0 1 लगायत 3 को पक्षकार बनाया गया है। तथा शेष प्रतिवादीगण स0 4 लगायत 6 सहखातेदार होने से व प्रतिवादी स0 लैण्ड होलडर होने से उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

वादी ने वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा किः–

(क) कि ग्राम बडबर तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत् 2067 लगायत 2069 के ख0 न0 1261 रकबा 0.76 है0 भूमि में से 0.68 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

(ख) कि वादी के उक्त ख0 न0 1261 रकबा 0.68 है0 का खाता भी अलग से कायम कर लगान कर लगान भी अलहेदा कायम की जावें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 2 की ओंर से श्री प्रदीप सैन एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। जिसकी ओर से बाद में हिदायत पैरवी नही होने के कारण दावे से अपना पक्ष हटा लिया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 11.05.2015 को अमल में लाई गई।

वादी की ओर से साक्ष्य वादी में अपना शपथ पत्र पेश किया गया। दस्तावेज प्रदर्श–1 लगायत 9 पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादिगण एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। वादी अपनी क्रयशुदा भूमि का दिनांक 03/09/1972 को नामान्तरण स0 619 के द्वारा वादी व उसके भाई रामसिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में ईन्तकाल भी दर्ज हो चुका था। चुंकि वादी के भाई रामसिंह नाऔलाद फौत हो चुका है। इसलिये सम्पूर्ण भूमि 0.68 है0 पर वादी का ही कब्जा काश्त है। एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.02.2023 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 171 दिनांक 13.03.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2917 दिनांक

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

22.09.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली गए। विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है। अतः वाद वाद वादी मुताबिक विक्रय पत्र व तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम बडबर तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के ख0 न0 1261 रकबा 0.76 है0 में से 0.68 है0 भूमि में वादी को दिनांक 06.02.2023 में खातेदार घोषित किया गया था। तदानुसार वाद वर्णित भूमि में वादी को दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जेकास्त अनुसार खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 171 दिनांक 13.03.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2917 दिनांक 22.09.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 27/5/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 34 / 2011 जीसीएमएस वाद संख्या : 2011 / 00037

हीरासिंह **बनाम** महेन्द्रसिंह आदि

<u>दावा घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती एवं खाता विभाजन</u>

चवादीगण की ओर से **श्री नरेश भारद्वाज एडवोकेट** की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को **श्री हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि –

"न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम बडबर तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के ख0 न0 1261 रकबा 0.76 है0 में से 0.68 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार तदानुसार वाद वर्णित भूमि में वादी का दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जेकास्त अनुसार खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह आज तारीख 27/5/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना